**भारत सरकार**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**तारांकित प्रश्‍न सं. \*3**

**30.11.2015 को उत्‍तर के लिए**

**आंध्र प्रदेश की राजधानी नगर परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी**

**\*3. डा. के.वी.पी. रामचन्‍द्र राव :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्‍द्रीय सरकार से उसकी राजधानी नगर परियोजना हेतु पर्यावरणीय मंजूरी दिए जाने का निवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्‍य सरकार को क्‍या सलाह दी गई थी; और

(ग) यदि नहीं, तो स्‍वत: प्रेरणा से कार्रवाई आरंभ न किए जाने के क्‍या कारण हैं जबकि राष्‍ट्रीय हरित अधिकरण ने इस बात पर चिंता व्‍यक्‍त की है कि ईंट, पत्‍थर, लोहे से बने भवन उस उपजाऊ कृषि भूमि पर बनेंगे जहां इस समय अनेक प्रकार की फसलों की खेती की जाती है?

**उत्‍तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री प्रकाश जावडेकर)**

(क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल रखा गया है ।

\*\*\*\*\*

**'आंध्र प्रदेश की राजधानी नगर परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी' के संबंध में डा. के.वी.पी. रामचन्‍द्र राव द्वारा पूछे गए दिनांक 30.11.2015 को उत्‍तर के लिए निर्धारित राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न सं. \*3 के भाग (क) से (ग) के उत्‍तर में उल्लिखित विवरण ।**

(क) से (ग) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जारी की गई पर्यावरण प्रभाव मूल्‍यांकन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 में, अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध परियोजनाओं/कार्यकलापों हेतु संबंधित विनियामक प्राधिकरण से पर्यावरण पूर्वानुमति प्राप्‍त करने का प्रावधान है। इनमें भवन एवं निर्माण परियाजनाएं, टाउनशिप एवं क्षेत्रीय विकास परियोजनाएं शामिल हैं जिनका विभिन्‍न राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों में राज्‍य विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्‍यांकन और राज्‍य पर्यावरण प्रभाव मूल्‍यांकन प्राधिकरण (एसईआईएए) द्वारा अनुमोदन किया जाना होता है।

 ईआईए अधिसूचना, 2006 के उपबंधों और इसमें किए गए उत्‍तरवर्ती संशोधनों के अनुसार, आंध्र प्रदेश के गुन्‍टूर जिले के थुलूरू, तदेपल्‍ली तथा मंगलागिरि मंडलों में 217.23 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कृष्‍णा नदी के दाहिने किनारे पर आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा संवर्धित 'ग्रीनफील्‍ड कैपिटल सिटी अमरावती की स्‍थापना' नामक परियोजना को एसईआईएए, आंध्र प्रदेश द्वारा दिनांक 09 अक्‍तूबर, 2015 को पर्यावरण स्‍वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

 राष्‍ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधानपीठ, नई दिल्‍ली ने 'पंडालानेनी श्रीमननारायण एवं अन्‍य बनाम आंध्र प्रदेश राज्‍य एवं अन्‍य' के मामले में मूल आवेदन सं. 171/2015 में दिनांक 10 अक्‍तूबर, 2015 को दिए अपने आदेश के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्‍य सरकार को निदेश दिया है कि वह प्रश्‍नगत परियोजना के लिए पर्यावरण अनुमति प्राप्‍त हुए बिना परियोजना क्षेत्र में आने वाली भूमि की सफाई का कोई भी कार्य न करे। राज्‍य सरकार को यह भी निदेश दिया गया है कि वह कृष्‍णा नदी के बाढ़ वाले मैदानों के सीमांकन का और परियोजना स्‍थल पर नमभूमियों के अभिनिर्धारण का विवरण प्रस्‍तुत करे। राज्‍य ने कृष्‍णा नदी के बाढ़ वाले मैदानों के सीमांकन और नमभूमियों के विवरण प्रस्‍तुत कर दिए हैं। मामला न्‍यायालय के अधीन है।

\*\*\*\*\*